



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929

No. 505]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 719(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 में निम्नलिखित और परिवर्तन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अनुसूची में, “भाग I—तुलनपत्र का प्ररूप के अधीन शीर्ष-क उधार्धिर प्ररूप” में,—

(1) “वे हिदायतें जिनके अनुसार दायित्व निश्चित किए जाने हैं” से संबंधित पहले स्तंभ में “चालू दायित्व और उपबोधित रकम” उपशीर्ष के सामने आने वाले दूसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“लेखन के टिप्पण के अधीन निम्नलिखित प्रकारित किया जाएगा :—

(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अन्त में मूल रकम और उस पर देय ब्याज (पृथक रूप से दर्शित की जाए) शेष किसी प्रदायकर्ता को असंदर्भ ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे प्रदायकर्ता को संदाय की गई रकम के साथ क्रेता द्वारा संदत ब्याज की रकम ;

(ग) संदाय करने में हुए विलंब की अवधि के लिए देय और संदेय ब्याज की रकम (जिसका संदाय कर दिया गया है किंतु वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे है) किंतु उसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़ दिना;

(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उद्भूत ब्याज की रकम और शेष असंदर्भ; और

(ङ) पश्चात्कर्ता वर्षों में भी शेष देय और संदेय और ब्याज की रकम, उस तारीख तक जब यथा पूर्वोक्त देय ब्याज का लघु उद्यमी को वास्तव में संदाय कर दिया गया हो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में मूक के प्रयोजन के लिए।

(2) “चालू दायित्व और उपबोधित रकम” शीर्षक के अधीन “दायित्व” से संबंधित दूसरे स्तंभ में, मद 2 के पश्चात् निम्नलिखित उप मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और

(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न उधार लेने वालों के कुल बकाया देय।

(3) तुलन पत्र तैयार करने के लिए साधारण हिदायतें को समाविष्ट करने वाली “टिप्पणी” में, मद (थ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(थ) ‘नियत दिन’, ‘क्रेता’, ‘उद्यम’, ‘सूक्ष्म उद्यम’, ‘लघु उद्यम’ और ‘प्रदायकर्ता’ पदों को उसी प्रकार परिभाषित किया जाएगा जैसे वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के क्रमशः खंड (ख), (घ), (ड), (ज), (ड), (ठ) में परिभाषित हैं।

2. ये अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/5/2006-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

याद दिल्ली :— अनुसूची का निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 और तत्पश्चात् संशोधन
2. स.का.नि. सं. 414 तारीख 21-3-1961
3. स.का.नि. सं. 78 तारीख 4-1-1963
4. स.का.नि. सं. 129 तारीख 3-1-1968
5. स.का.नि. सं. 1665 तारीख 9-10-1971
6. स.का.नि. सं. 494 (अ) तारीख 30-10-1973
7. स.का.नि. सं. 455 तारीख 27-4-1974
8. स.का.नि. सं. 220 (अ) तारीख 12-3-1979
9. का.आ. सं. 400 (अ) तारीख 19-4-1988
10. स.का.नि. सं. 784 (अ) तारीख 13-7-1988
11. का.आ. सं. 723 (अ) तारीख 18-9-1990
12. स.का.नि. सं. 388 (अ) तारीख 15-5-1995
13. स.का.नि. सं. 423 (अ) तारीख 13-9-1996
14. स.का.नि. सं. 129 (अ) तारीख 22-2-1999
15. स.का.नि. सं. 376 (अ) तारीख 22-5-2002
16. स.का.नि. सं. 545 (अ) तारीख 1-8-2002
17. स.का.नि. सं. 762 (अ) तारीख 13-11-2002 के द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2007

G.S.R. 719 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further alterations in Schedule VI to the said Act, namely:—

1. In the said Schedule, in “Part I Form of Balance-Sheet, under heading-A. Horizontal Form”,—

(1) in the first column relating to “Instructions in accordance with which liabilities should be made out”, for the second paragraph appearing against the sub-heading “CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS”, occurring in the second column, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“The following shall be disclosed under notes to the accounts:—

(a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year;

(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year;

(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day

during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;

(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and

(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(2) in the second column, relating to “Liabilities”, under the heading “current liabilities and provisions”, after item (2), the following sub-items shall be substituted, namely:—

(a) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and

(b) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.

(3) In the “Notes” embodying General Instructions for preparation of balance sheet, for item (q), the following shall be substituted, namely:—

(q) the terms ‘appointed day’, ‘buyer’, ‘enterprise’, ‘micro enterprise’, ‘small enterprise’ and ‘supplier’, shall be as defined under clauses (b), (d), (e), (h), (m) and (n) respectively of Section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2006/CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot note.—The Schedule was amended *vide*:

1. Companies (Amendment) Act, 1960 and subsequently amended *vide*
2. G.S.R. No. 414 dated 21-3-1961.
3. G.S.R. No. 78 dated 4-1-1963.
4. G.S.R. No. 129 dated 3-1-1968.
5. G.S.R. No. 1665 dated 9-10-1971.
6. G.S.R. No. 494(E) dated 30-10-1973.
7. G.S.R. No. 455 dated 27-4-1974.
8. G.S.R. No. 220(E) dated 12-3-1979
9. S.O. No. 400(E) dated 19-4-1988.
10. G.S.R. No. 784(E) dated 13-7-1988.
11. S.O. No. 723(E) dated 18-9-1990.
12. G.S.R. No. 388(E) dated 15-5-1995.
13. G.S.R. No. 423(E) dated 13-9-1996.
14. G.S.R. No. 129(E) dated 22-2-1999.
15. G.S.R. No. 376(E) dated 22-5-2002
16. G.S.R. 545(E) dated 1-8-2002
17. G.S.R. 762(E) dated 13-11-2002.